महत्वपूर्ण

संख्या-149/2018/ 2082/26-3-2018-4(188)/93टी0सी0

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः 27 जून 2018

सन्दर्भः-शासनादेश दिनांक-12 अक्टूबर 2017, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

विषयः-प्रदेश में निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-161/2017/44वी0आई0पी0/26-3-2017-4(188)/93टी0सी0, दिनांक-12.10.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है। यह योजना मा0 मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है तथा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के अल्पसमय में ही उक्त योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

2- इस वर्ष उपरोक्त योजना अन्तर्गत कुल लक्षांक-71428 (इकत्तर हजार चार सौ अट्ठाईस) जोड़ों को विवाहबद्ध कराये जाने का है, जिसके क्रम में रू0-250 (रू0 दो सौ पचास मात्र) करोड धनराशि का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के शुरूआती दो महीनों में अत्यन्त नगण्य सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया है तथा कुछ जनपदों में ही वित्तीय वर्ष में अब तक एक भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का आयोजन नही कराया जा सका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3— वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव तथा संभावित आचार संहिता के कालखण्ड को देखते हुए यह आवश्यक है कि उपरोक्त कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु कार्य योजना अभी से तैयार कर ली जाए, ताकि उपरोक्त योजना अन्तर्गत लक्ष्य की पूर्ति सफलतापूर्वक की जा सके।

4— सम्पूर्ण योजना के कार्यान्वयन हेतु 12 अक्टूबर, 2017 के शासनादेश द्वारा प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समिति का गठन किया गया है, जिसके क्रम में यह अपेक्षित है कि उपरोक्त समिति की प्रत्येक माह जिलाधिकारी स्वयं अपनी अध्यक्षता में बैठक बुलायें और सुनिश्चित करें की नगरीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व अन्य अर्द्धशासकीय/संस्था स्वैच्छिक संस्था (NGO) आदि, जिन्हें योजना के अधिकृत किया गया है वे अपना लक्ष्य प्रत्येक दशा में पूरा करें। **शासन स्तर से प्रत्येक जनपद व क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक) वार तय किये लक्षांक को उपरोक्त अधिकृत संस्थाओं में विभाजित करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजन का सम्पूर्ण दायित्व जनपद स्तरीय समिति का रहेगा।**

(जनपद/क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) वार लक्षांक संलग्न)

5— समिति उन स्वयं सेवी संस्थाओं को जो इस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं व जिनका इस क्षेत्र में यशस्वी कार्य (Proven track record) हो, को समाचार–पत्रों व इतर माध्यमों से सूचना देते हुए मनोनीत (Empanel) करने का कार्य भी करेगी व चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को उनकी कार्य क्षमतानुसार सामूहिक विवाह आयोजित करने का लक्ष्य देगी। इस कार्य हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को अलग से मानदेय देने की कोई व्यवस्था नहीं है। समिति विवेकानुसार सराहनीय कार्य सम्पन्न करने वाली संस्थाओं को अपने स्तर से गौरवान्वित कर सकती है।

स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन के बारे में जिलाधिकारी व अध्यक्ष जनपद स्तरीय 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' समिति का निर्णय अन्तिम रहेगा तथा संस्थाओं के चयन आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य यथा— विज्ञापन देना, अभिलेखों का रख–रखाव इत्यादि कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारी/सदस्य सचिव 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समिति' द्वारा किया जायेगा।

6— जनपद स्तरीय समिति प्रत्येक माह स्थानिक एवं धार्मिक रीति–रिवाजों तथा वैवाहिक मुहूर्त इत्यादि का ध्यान रखते हुए सामूहिक विवाह के कार्यक्रम हेतु तिथि तय करेगी व कम–से–कम 30 दिन पूर्व इसकी घोषणा समाचार–पत्रों इत्यादि के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

माध्यम से जनपद में करेगी, जिससे उक्त कार्यक्रम में सहभागी होने के इच्छुक वर–वधू व उनके परिवारजनों को कार्यक्रम में सहभागिता करना सुलभ हो सकेगा।

7– समिति प्रत्येक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के गणमान्य लोक प्रतिनिधियों, यथा मा0 मंत्री, मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण, मा0 महापौर, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, मा0 प्रमुख क्षेत्र पंचायत, मा0 ग्राम प्रधान इत्यादि की सहभागिता भी सुनिश्चित करेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि उपरोक्त कार्यक्रम मा0 मंत्री, मा0 सांसद अथवा यथास्थिति मा0 विधायक की अध्यक्षता व मुख्य आतिथ्य में ही आयोजित हो। उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा।

8–कतिपय जनपदों से निम्न दर्जे की वैवाहिक सामग्री क्रय की सूचना शासन को प्राप्त हुई है, जिस पर शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त सामग्री के क्रय की गुणवत्ता हेतु मुख्य विकास अधिकारी व अध्यक्ष जनपद स्तरीय क्रय समिति पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शासनादेश दिनांक 12.09.2017 में वर्णित व्यवस्था (ड़) नुसार क्रय समिति में नामित दो महिला अधिकारियों का अनुमोदन भी वैवाहिक सामग्री के क्रय की कार्यवाही पर लिखित स्वरूप में ले लिया जाए। सम्पूर्ण क्रय की कार्यवाही वित्तीय मर्यादानुसार शासन द्वारा तय किये गये नियमों व समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुक्रम में ही की जायेगी।

9– सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहले से ही विवाहित युगल पंजीकृत न होने पायें व केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए विस्तृत सत्यापन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगरीय निकायों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत का रहेगा। सम्बन्धित निकायों द्वारा सत्यापन सूची की एक (01) प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी को आयोजन से पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका परीक्षण करते हुए उक्त सत्यापित सूची जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। अपात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने की स्थिति में जिलाधिकारी अपने स्तर से प्रकरणों की जांच कराते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की संस्तुति शासन को तुरन्त प्रेषित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10– उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु बजट की व्यवस्था निदेशक समाज कल्याण निदेशालय अपने स्तर से जिलाधिकारी की मांग अनुरूप तुरन्त जारी करना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्तर पर भी उपरोक्त कार्यक्रम की समीक्षा प्रत्येक माह करते हुए शासन को विहित प्रारूप में आख्या उपलब्ध करायेंगे।

11– उपर्युक्त कार्यक्रम का Wide media coverage (विस्तृत मीडिया कवरेज) भी समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा व आयोजित कार्यक्रमों के फोटो एलबम की एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिलेख स्वरूप में जतन करके रखना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 149/2018/2082 (1)26–3–2018–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8– समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उ0प्र0।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रवि शंकर मिश्र)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।